न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी श्री राम यादव (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायरा	तारीख फैसला
04/2018	14—II—2018	

उनवान

01. धर्मी उर्फ माया पत्नी श्री अनाथ मेरो नन्दा उम्र करीब 45 साल निवासीगण ग्राम टपूकड़ा तहसील
02. बीना पत्नी श्री गोविन्द मेरो नन्दा उम्र करीब 48 साल जातियान मनिहार सोहना तहसील सोहना जिला गुडगांव (हरि0)
तिजारा जिला अलवर हाल आबाद मकान नं0 12 ......वाला सोहना तहसील सोहना के नजदीक ग्राम टपूकड़ा
03. सन्तरा पत्नी लल्लूराम उम्र करीब 55 साल जाति मनिहार निवासी पुलिस स्टेशन के नजदीक ग्राम टपूकड़ा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

——: अपीलान्ट

बनाम

01. ग्राम पंचायत टपूकड़ा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) जरिये सरपंच
02. सावन कुमार
03. राजू पुत्रान लल्लूराम नवासान नन्दा जातियान मनिहार निवासीगण ग्राम टपूकड़ा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

——: रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध इंतकाल संख्या 122 दिनांक 07.12.1978 बाबत ग्राम टपूकड़ा तहसील तिजारा
ग्राम पंचायत टपूकड़ा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

—: निर्णय :—

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा इंतकाल संख्या 122 दर्ज व स्वीकार दिनांक 07.12.1978 को मृतक नन्दा पुत्र श्री सीताराम मनिहार की विरासत तन्हा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज करते हुये ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से गलत दर्ज व स्वीकार किया गया है। मृतक ससुर/दादा नन्दा के जीवनकाल में मिन अपीलान्टान के पिता/पति लल्लूराम जोकि नन्दा का पुत्र था, का देहान्त हो गया था। मिन अपीलान्टान व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 मृतक नन्दा के विधिक वारिसान है और इंतकाल संख्या 122 में दर्ज आराजी पर अपने हिस्से अनुसार अपने अपने नाम की आराजी पर बदस्तूर काबिज व दाखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा मौके पर सभी वारिसान का वास्तविक कब्जा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 जोकि घर के मुखिया सदस्य थे और घर के कर्ता-धर्ता ने मिन अपीलान्टान के हक हकूक को जायल करने की गरज से रेस्पोडेन्ट नं0 1 से मिलकर तन्हा विवादित इंतकाल संख्या 122 दिनांक 07.12.1978 को दर्ज व स्वीकार करवाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अंकन करा दिया, जो विधि विरूद्ध तरीके से आदेश पारित कर दिया, जो कानून व मंशा के खिलाफ है। इसलिए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उक्त आदेश का गलत एवं विधि विरूद्ध है, जो काबिल अपास्त है। नन्दा के पुत्र लल्लूराम की पत्नी मिन अपीलान्ट

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

ख्या 3 सन्तरा पुत्रीयान क्रमशः अपीलान्टान 1 व 2 व पुत्रान रेस्पोडेन्ट 2 व 3 का 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 विवादित इंतकाल संख्या 122 में हक व हिस्सा निहित है इसी कदर अपने अपने भाग काबिज व दाखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उक्त विवादित इंतकाल संख्या 122 दर्ज व स्वीकार करते समय मन अपीलान्टान को ना तो कोई सूचना दी गई और ना ही कोई नोटिस ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है, ना ही ग्राम चौपाल पर इश्तहार लगाया। एकपक्षीय रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष में दर्ज व स्वीकार किया है, जो विधि के विरूद्व है। इसलिए उक्त इंतकाल संख्या 122 दर्ज व स्वीकार दिनांक 07.12.1978 का आदेश काबिज खारिज है। मिन अपीलान्टान के मृतक ससुर/दादा की कुल आराजी में अपीलान्टा सं0 1 का 1/5 भाग अपीलान्टा संख्या 2 का 1/5 व मिल अपीलान्टा संख्या 3 का 1/5 भाग विरासत में हासिल हुआ है। मिन अपीलान्टान अपने हिस्से की आराजी पर काबिज व दाखिल है और मौके पर अपीलान्टान का वास्तविक कब्जा काश्त है। ग्राम पंचायत का उक्त आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलान्टान की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आलौच्य आदेश इंतकाल संख्या 122 दर्ज व स्वीकार दिनांक 07.12.1978 को पारित किया गया है, उसे निरस्त कर नये सिरे से वारिसों की जॉच करके इंतकाल दर्ज कर मिन अपीलान्टान का नाम जोडे जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करें। दफा–5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया जाकर जवाब प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। रेस्पोडेन्ट बावजूद तामील अनुपस्थित है रेस्पोडेन्ट के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात अपीलान्टा की प्रार्थना पत्र दफा–5 मियांद अधिनियम पर बहस सुनी गई। अपीलान्टा ने प्रार्थना पत्र दफा–5 मियांद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील को तहसीलदार तिजारा को रिमाण्ड कर पुनः इंतकाल दर्ज करने का निवेदन किया गया। अपीलान्टा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियांद अधिनियम स्वीकार किया गया।

पत्रावली में बबीता पत्नी सुभाष, सुनिता पत्नि खुशीराम महाजन द्वारा आदेश 1 नियम 10 प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री कुलदीप आहूजा के जरिये पेश की है। प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 पर भी दोनो अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। प्रार्थना पत्र में दोनो अधिवक्ताओं की सहमति से प्रार्थी बबीता एवं सुनिता का हिस्सा छोडकर शेष आराजी के लिए अपील को रिमाण्ड करने की सहमति दी है।

अतः अपील अपीलान्टा स्वीकार की जाकर इंतकाल संख्या 122 दिनांक 07.12.1978 वाके ग्राम टपूकडा में बबीता एवं सुनिता का हिस्सा छोडकर ग्राम पंचायत टपूकडा को निरस्त किया जाकर प्रकरण नायब तहसीलदार टपूकडा को इस आदेश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में विस्तृत जांच की जाकर पुनः इंतकाल की कार्यवाही करें।

आदेश सुनाया गया।

(के0 राम यादव)
उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)